

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3759

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है)

विदेशी वाणिज्यिक उधार

3759. श्री लालू श्रीकृष्णा देवरायालू:

श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विदेशी वाणिज्यिक उधार लेने वाली भारतीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है और कुल बकाया राशि, क्षेत्रवार वितरण और मुद्रा जोखिमों से बचाव की सीमा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा हाल ही में रूपये के अवमूल्यन के कारण भारतीय कंपनियों, विशेषकर उन कंपनियों पर बढ़े हुए वित्तीय बोझ को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं जिन्होंने विदेशी वाणिज्यिक उधार नहीं लिया है;
- (ग) मुद्रा अवमूल्यन के कारण संभावित वित्तीय अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों की बढ़ती प्रवृत्ति की निगरानी और विनियमन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा ऋणों पर कॉर्पोरेट निर्भरता को कम करने और विनियम दर जोखिमों को कम करने के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों को बढ़ावा देने पर विचार हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो व्यवसायों को व्यवहार्य घरेलू वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराने के लिए रूपया-मूल्यवर्ग के बांडों (मसाला बांड) या इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) जैसे नवोन्मेषी वित्तीय साधनों की संभावित शुरुआत सहित तलाशे जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सितंबर 2024 तक, कुल बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) 190,397 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से लगभग दो-तिहाई ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधारों के संबंध में जोखिम प्रबंधन उपाय कर लिए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मुद्रा जोखिमों के संबंध में बचाव की सीमा के साथ बकाया ईसीबी का कंपनी-वार विवरणों का संकलन और अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग): ईसीबी का संचालन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत आरबीआई द्वारा तैयार की गई रूपरेखा अनुरूप किया जाता है। भारतीय संस्थाओं की बढ़ती हुई वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने और वृहद आर्थिक घटनाक्रमों के समाधान के लिए इस फ्रेमवर्क को उत्तरोत्तर समायोजित किया गया है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, विदेशी मुद्रा में ईसीबी जुटाने वाली संस्थाओं को विदेशी मुद्रा जोखिम के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय या कुशल विनियामक द्वारा जारी बचाव दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनियों के पास उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति होगी और ईसीबी की औसत परिपक्वता 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उन्हें अनिवार्य रूप से अपने ईसीबी जोखिम के 70 प्रतिशत का बचाव करना अपेक्षित होगा।

(घ) और (ड): भारत सरकार, आरबीआई तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सहयोग से, भारतीय कंपनियों के लिए पूँजी जुटाने के वैकल्पिक स्रोतों में विविधता लाने और उनका विस्तार करने के उद्देश्य से उपाय करती है। हाल के वर्षों में, विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए कई पहल की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, 'अंतर्राष्ट्रीय विनिमय योजना' में भारत में निगमित कंपनियों के इकिवटी शेयरों के प्रत्यक्ष सूचीकरण' की अधिसूचना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को शामिल करने की आसानी बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और क्रृण साधनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को नियंत्रित करने वाली नियामक व्यवस्था की व्यापक समीक्षा शामिल है।

साथ ही, घरेलू पूँजी के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कई नीतिगत पहल की गई हैं। इन उपायों से हाल के वर्षों में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) जैसे साधनों के माध्यम से निधि जुटाने में काफी वृद्धि हुई है। आरईआईटी और इनविट के माध्यम से जुटाई गई कुल निधि वित वर्ष 2019-20 में ₹10,772 करोड़ से बढ़कर वित वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) में ₹22,702 करोड़ हो गई है। इसी तरह, एआईएफ के माध्यम से जुटाई गई संचयी निधि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दिसंबर 2019 तक ₹1,71,713 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 तक ₹5,27,284 करोड़ हो गई है।
